पुष्कर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

175/2022/225 R

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/175 श्री ... श्री	

पुखराज बनाम हीरा लाल वगैरह (175/2022)

12.7.22

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.07.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य छुपाकर क्षेत्राधिकार से परे विधि द्वारा वर्जित प्रकरण प्रस्तुत कर विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल आधार पर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 25.03.2022 विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी के पारित करवाया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण संख्या 01लगायत 4 का वादग्रस्त खसरा नम्बर 176 से कोई लेना-देना नही है और ना ही खातेदार है जबकि खातेदार मूर्ति मंदिर है और रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 भूमि पर काबिज काश्त भी नही है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता है तथा सैटलमेन्ट की गलती के तथ्य को छुपाकर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को अवस्थित रास्ते से सम्बन्धित स्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को सुनने एवं निर्णित करने एवं ऐसे प्रकरण पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अन्तरिम स्थगन आदेश में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतःबहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। हमने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम स्थगन पर पुनः सुनवाई किये जाने का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी/प्रार्थी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किये जाने से तथा नोटिस सम्मन तामिल नही हुए इसलिए प्रकरण की जानकारी नही हो सकी तत्पश्चात प्रार्थी/अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 26.04.2022 को होने पर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 विधि द्वारा वर्जित और क्षेत्राधिकार से परे पारित होने से उक्त आदेश की क्रियान्विति स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर का आदेश दिनांक 25.03.2022 की क्रियान्विति का ता:फैसला अपील स्थगित किये जाने आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2009 (2) आर.आर.टी. पेज 801, आर.आर.टी. 2004(1) पेज 324, आर.आर.डी. 1976 पेज 07, आर.बी.जे. 2022 पेज 296 के न्यायिक दृष्टांत पेश किय है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पुष्कर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

175/2022 225 Rt

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/175 श्री ... श्री	

संतोषप्रद होने के कारण न्यायहित में हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद
अधिनियम को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के पृष्ट संख्या 01 की
पुश्तः पर पीठासीन अधिकारी ने यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण को
अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.04.2022 तक मौके एवं
रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हों, जबकि आदेशिका
दिनांक 25.03.2022 में यह अंकित कर दिया गया कि मौके एवं राजस्व रिकार्ड
की यथास्थिति बनाये रखते हुए हस्तातंरण, भौतिक परिवर्तन एवं किसी प्रकार
का निर्माण कार्य इत्यादि गतिविधियॉ न ही करें और न ही करावें। प्रकरण
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत्
प्रस्तुत किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को केवल अस्थायी निषेधाज्ञा
की परिसीमा के तहत् ही आदेश पारित करने चाहिए क्योंकि रास्ते में बाधा
उत्पन्न करने से रोकने, रास्ते से सम्बन्धित विवाद को निर्णित करने का
अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही है। रास्ता बन्द को खुलवाये जाने के
पारित नहीं किये जा सकते है, रास्ते सम्बन्धी खुलवाये जाने के प्रावधान अलग
से प्रदत्त है जिसमें अगर कोई रास्ता बन्द कर दिया है तो धारा 251 राज.
काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रदत्त है जो ग्राम पंचायत व तहसीलदार एवं
सिविल न्यायालय को प्रदत्त है तथा अगर खातेदार की भूमि पर कब्जा कर
अतिक्रमण किया है तो उसके प्रावधान धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम में
उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने
अन्तरिम स्थगन आदेश में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण में से किसी के
उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतःबहस
करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अप्रार्थीगण
ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
अन्तरिम स्थगन पर पुनः सुनवाई किये जाने का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ
न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये है, जो
विधि सम्मत नही है। अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ
न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा
आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को आंशिक स्वीकार की जाती
है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को आशय से प्रतिप्रेषित
करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व
सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज.काश्तकारी अधिनियम(परिसीमा तक ही) का गुणावगुण पर 30 दिवस में
निस्तारण करें।

**अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण
अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को उपरोक्त निर्देशो के साथ
प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का
समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी
अधिनियम (परिसीमा तक ही) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।
पक्षकार को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक
25.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर